Seventeenth Loksabha

>

Title: Papers laid on the Table of the House.

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे । डॉ. जितेन्द्र सिंह जी ।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 752/17/19]

(2) संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) तीसरा संशोधन विनियम, 2019 जो 20 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 672(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 753/17/19]

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल, वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते) नियम, 2019 जो 24 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 810 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 754/17/19]

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर थ्री, श्री सोम प्रकाश ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): I beg to lay on the Table a copy of the Registration and Licensing of Industrial Undertaking (Amendment) Rules, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification NO. G.S.R. 637(E) in Gazette of India dated 6th September, 2019 under sub-section (4) of Section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

[Placed in Library, See No. LT 755/17/19]

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I have a point of order under rule 288. As far as the Business Advisory Committee is concerned, I am citing some of the points under Rule 288. Rule 288(1) says:

> "It shall be the function of the Committee to recommend the time that should be allocated for the discussion of the stage or stages of such Government Bills and other business as the Speaker, in consultation with the Leader of the House, may direct for being referred to the Committee."

सर, एक के बाद एक बीएसी कमेटी की मीटिंग होती जा रही हैं, हम इश्यूज चुनते हैं, सदन शुरू हो चुका है, लेकिन आज तक हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है कि यहां कौन-सा विषय आने वाला है ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन के पटल पर कल रख दी गई है । इसलिए आपका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है ।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, पूरे हफ्ते के बिजनेस नहीं होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं।**…(**व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पूरे हफ्ते का ही रखा है ।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, आपने एसोसिएशन के बारे में सहमति जताई थी, वह नहीं आया ।